

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० - मं०मं०-01/आर०-02/2007.....दिनांक.....

अधिसूचना

विषय = कार्यपालिका नियमावली के नियम-32(क) के अन्तर्गत एक उप कंडिका (xx) 'मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति' के रूप में जोड़े के संबंध में।

भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-जी०एस०आ०-3, दिनांक-16 जनवरी, 1979 द्वारा बनाई गई तथा अद्यतन संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

कार्यपालिका नियमावली के नियम-32(क) में एक नया प्रावधान उप कंडिका (xx) के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाता है -

32(क)(xx) - 'मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-01/आर०-02/2007.....दिनांक.....

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।


ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-01/आर०-02/2007.....<sup>845</sup>दिनांक.....<sup>28/5/09</sup>

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव